भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 295

मंगलवार, 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत औद्योगिक विकास योजना की विशेषताएँ

295. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा :
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :
कैप्टन बृजेश चौटा :
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, और पहले चरण के अंतर्गत पार्कों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें कवर किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त पार्कों के भीतर अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और सामान्य सुविधाओं के लिए क्या सहायता प्रस्तावित है; और

(घ) उक्त पार्कों में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (ग्लोबल वैल्यू चेन्स) से जोड़ने के लिए प्रस्तावित तंत्र क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (**घ**): भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) निवेश हेतु तैयार औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए दिनांक 10.04.2026 को अधिसूचित केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है ताकि निवेशकों को आसानी से निवेश का वास्तविक क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे देश की विनिर्माण क्षमता में वृद्धि हो।

स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 33,660 करोड़ रुपए है और यह स्कीम 6 वर्ष की अवधि के लिए है।

इस स्कीम के तहत, 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। पहले चरण में, एक या अधिक दौर की चयन प्रक्रिया से 50 परियोजनाओं को शुरू किया जाना है।

अनिवार्य पात्रता मानदंड में गैर-पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों और एक करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में न्यूनतम 25 एकड़ की सटी हुई भूमि क्षेत्र की अपेक्षा के साथ-साथ आवेदन प्रस्तुत करते समय 90 प्रतिशत विवाद रहित भूमि की उपलब्धता शामिल है।

परियोजनाओं का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रदान किए जा रहे कनेक्टिविटी और स्थल की उपयुक्तता, डीपीआर की गुणवत्ता, औद्योगिक भूमि की मांग, स्थल पर सेवाओं की व्यवस्था, विकसित पार्क में निवेश सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सहयोग जैसे मापदंडों के मूल्यांकन के साथ चैलेंज मोड पर आधारित है।

अनिवार्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदनों पर दिनांक 23.05.2026 को जारी स्कीम दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन और स्कोरिंग के लिए विचार किया जाएगा।

इस स्कीम में किसी विशिष्ट सेक्टर में पार्कों को विकसित करने का प्रस्ताव नहीं है, तथापि, क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन और अवसंरचना आवश्यकताओं वाले प्रस्तावों को वरीयता की जाएगी। पोर्टल पर अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्कीम दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध पात्र घटकों के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह अंशदान केंद्र से इक्विटी के रूप में है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा भूमि का योगदान किया गया है।

इस स्कीम की रूपरेखा क्षेत्र विशिष्ट के अनुरूप अवसंरचना के सृजन की छूट देती है, जिसमें एमएसएमई को प्रोत्साहन देना भी शामिल है, जहां भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के भाग के रूप में ऐसे अवसंरचना प्रावधान का प्रस्ताव करती है।

इस स्कीम के दिशा-निर्देश www.dpiit.gov.in पर उपलब्ध हैं।
